छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 681/821/2013/1/5 नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल, 2013

प्रति,

उप संचालक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
खैरागढ़ मार्ग राजनांदगांव,
छत्तीसगढ़ ।

विषय :– स्कूल शिक्षा विभाग की हिन्दी एवं अंग्रेजी की अधिसूचना क्रमांक एफ–04–39/2005/20–3, दिनांक 27.04.2013 का प्रकाशन।

––0––

स्कूल शिक्षा विभाग की उपर्युक्त अधिसूचना को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) **दिनांक 27.04.2013** में तत्काल प्रकाशन करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है । प्रकाशन हेतु अधिसूचना की सुस्पष्ट, पठनीय मूल हस्ताक्षरित प्रति शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय को सीधे **स्कूल शिक्षा विभाग** द्वारा भेजी जावेगी ।

(के.सी. वर्मा)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Gmd. Pl. put it in our website

क्रमांक /821/2013/1/5 नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल, 2013

प्रतिलिपि :–

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक एफ–04–39/2005/20–3, दिनांक 27.04.2013 के संदर्भ में, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Secy Pl. implement Urgently As directed by Hon. Chairman. 30.04.

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

30-4-13

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया, रायपुर,दिनांक : 27-4-2013

क्रमांक एफ 04–39/2005/20–3 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्रं.23 सन् 1965) की धारा 28 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन की स्वीकृति एवं प्रस्तावित संशोधन के पूर्व प्रकाशन पश्चात् छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम 1965 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं अर्थातः–

संशोधन

उक्त विनियम में,

1/– विनियम 119 के उप विनियम (1) (2) तथा (3) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाय, अर्थातः–

(1) विनियम 119 (1) के अंतर्गत परीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर पुनर्गणना(अंको का सत्यापन)/ उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन /पुनर्मूल्यांकन हेतु इस तीनो प्रकिया के लिए अथवा किन्ही दो प्रकिया के लिए अथवा किन्ही एक प्रकिया के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित फीस के आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(2) विनियम 119(1) के पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन हेतु एक साथ आवेदन कर सकता है। उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन उपरांत पुनर्मूल्यांकन हेतु पृथक से 15 दिवस का समय नहीं दिया जावेगा।

(3) विनियम 119 (3) पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन हेतु ली गई शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं की जावेगी। उपर वर्णित परिस्थितियों के अतिरिक्त कोई भी छात्र अपने उत्तर/उत्तरों की पुनः जांच करवाने के लिये या उत्तरपुस्तिकाओं या अन्य दस्तावेजो जिन्हें मण्डल द्वारा अति गोपनीय समझा जाता हो, के प्रकटीकरण या निरीक्षण के लिये न दावा करेगा और न ही हकदार होगा। छात्र के यथापूर्व में घोषित परीक्षाफल में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो उसे मण्डल की वेब साईट **www.cgbse.net** पर एवं छात्र द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर **SMS** के माध्यम से सूचना दी जायेगी।

2/– विनियम 148 के उप विनियम (1) (2) तथा (3) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाय, अर्थातः–

(1) विनियम 148 (1) के अंतर्गत परीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर पुनर्गणना(अंको का सत्यापन)/ उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन /पुनर्मूल्यांकन हेतु इस तीनो प्रकिया के

(2) विनियम 148(1) के पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन हेतु एक साथ आवेदन कर सकता है। उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन उपरांत पुनर्मूल्यांकन हेतु पृथक से 15 दिवस का समय नहीं दिया जावेगा।

(3) विनियम 148 (3) पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति अवलोकन/पुनर्मूल्यांकन हेतु ली गई शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं की जावेगी। उपर वर्णित परिस्थितियों के अतिरिक्त कोई भी छात्र अपने उत्तर/उत्तरों की पुनः जांच करवाने के लिये या उत्तरपुस्तिकाओं या अन्य दस्तावेजो जिन्हें मण्डल द्वारा अति गोपनीय समझा जाता हो, के प्रकटीकरण या निरीक्षण के लिये न दावा करेगा और न ही हकदार होगा। छात्र के यथापूर्व में घोषित परीक्षाफल में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो उसे मण्डल की वेब साईट **www.cgbse.net** पर एवं छात्र द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर **SMS** के माध्यम से सूचना दी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

R. Shandilya

(रीता शाण्डिल्य)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION

MANTRALAYA, MAHANADI BHAWAN, NAYA RAIPUR

::NOTIFICATION::

Naya, Raipur Date..27-4-2013

No.F 04-39/2005/20-3 :: In exercise of the power conferred by sub section (3) of section 28 of the chhattisgarh Madhhamik shiksha Adhiniyam ,1965 (N0.23of 1965)with the previous sanction of the state Government and prior Publication of proposed amendment. the Board of Secondary Education Chhattisgrh hereby makes the following 'amendments in the Chhattisgarh Board of Secondry Education Regulation1965.

AMENDMENT

In the said regulation:-

1. For sub–regulation (1)(2) and(3) of regulation 119, following sub-regulation shall be substituted namely.

(1) Under regulation 119 (1), from the date of result declaration, within the time period of 15 days, (Retottling) i.e. Verification of marks/observation of Photocopy of answer copy/Revaluation Process , out of three or any two or any one process on Prescribed form by the Board along with prescribed fee.

(2) Under regulation 119 (1) , at length , candidate can apply for retottling/ observation of Photocopy of answer copy/Revaluation **but no extra ,15 days time will be given after observation of Photocopy of answer copy.**

(3) Under regulation 119 (3),fee taken for retottling/observation of Photocopy of answer copy/Revaluation will **be non-refundable in any condition or case what so-ever may be.**

Apart from , conditions, explained above , no examinee shall claim or entitled to re-examination of his/her answer/answers or answer copy or disclosure or inspection of answer copy /copies or other documents treated by the Board as most confidential .

As the result declared earlier , if any alteranation or change comes in the result of examinee , will be informed through the medium of Board's

website **www.cgbse.net** and on the mobile number given by the candidate through SMS.

2. For sub–regulation (1)(2) and(3) of regulation 148, following sub-regulation shall be substituted namely.

(1) Under regulation 148 (1), from the date of result declaration, within the time period of 15 days, (Retottling) i.e. Verification of marks/observation of Photocopy of answer copy/Revaluation Process , out of three or any two or any one process on Prescribed form by the Board along with prescribed fee.

(2) Under regulation 148 (2) , at length , candidate can apply for retottling/ observation of Photocopy of answer copy/Revaluation **but no extra ,15 days time will be given after observation of Photocopy of answer copy.**

(3) Under regulation 148 (3),fee taken for retottling/observation of Photocopy of answer copy/Revaluation **will be non-refundable in any condition or case what so-ever may be.**

Apart from , conditions, explained above , no examinee shall claim or entitled to re-examination of his/her answer/answers or answer copy or disclosure or inspection of answer copy /copies or other documents treated by the Board as most confidential .

As the result declared earlier , if any alteranation or change comes in the result of examinee , will be informed through the medium of Board's website **www.cgbse.net** and on the mobile number given by the candidate through SMS.

**By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh**

R. Shandilya

**(Reeta Shandilya)
Deputy Secretary
Govt. of Chhattisgarh,
Department of School Education**